डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: शॉपिंग मॉल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग, फेस-1, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम – 122 002 (हरियाणा)
CIN : L70101HR1963PLC002484
फोन: 91-124-4334200
वेबसाइट: www.dlf.in; ई–मेल : investor-relations@dlf.in

DLF

60वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी और रिकॉर्ड तिथि की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएलएफ लिमिटेड **('कंपनी')** के सदस्यों की 60वीं वार्षिक आम बैठक **('एजीएम') सोमवार, 4 अगस्त 2025 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी)** आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ('ओएवीएम')** के द्वारा आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 9/2024 दिनांक 19 सितम्बर 2024, सामान्य परिपत्र सं. 9/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023, सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022, सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, सामान्य परिपत्र सं. 2/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा अन्य लागू परिपत्र **('एमसीए परिपत्र')** और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड **('सेबी')** द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 **('सेबी परिपत्र')** और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित **('सेबी सूचीयन विनियम')** के अनुपालन में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष **(वि.व.)** 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण आदि शामिल हैं, कंपनी के उन सदस्यों को रविवार, 13 जुलाई 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिये गये हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।
3. सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार वेबलिंक, क्यूआर कोड और वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने का सही पथ प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। एजीएम की सूचना और वि.व. 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट **www.dlf.in** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड **('बीएसई')** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **('एनएसई')** क्रमशः **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **(एनएसडीएल)**, ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।
4. सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')** की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
5. अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथा संशोधित **('नियम')** और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।
6. रिमोट ई–वोटिंग **बृहस्पतिवार, 31 जुलाई 2025 को प्रातः 9.30 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी और **रविवार, 3 अगस्त 2025 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने या दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।
7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कट–ऑफ तिथि **सोमवार, 28 जुलाई 2025 ('कट–ऑफ तारीख')** होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों की सूची में है, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
8. जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य मात्र समझे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को उनकी पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेज दिया गया है।
9. ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के इक्विटी शेयर अधिग्रहित करता है और **कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना ई–मेल से भेजे जाने** के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात **सोमवार, 28 जुलाई 2025** को इक्विटी शेयर धारण करता है, वह **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी दी गई है जो कि कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजों तथा एनएसडीएल की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।
10. कृपया नोट करें कि सदस्यगण जिनके पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड नहीं है या अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड भूल गए हैं, वह एजीएम की सूचना में ई–वोटिंग दिशानिर्देशों का पालन करके इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्यगण एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम पर लॉग इन करके ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।
11. डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट नहीं की है उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास इसे पंजीकृत/अपडेट करें और भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए को अपना नाम, फोलियो नं. और पूरा पता तथा विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर–1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म एवं विवरण जैसा कि सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/91 दिनांक 23 जून 2025 में उल्लिखित है, सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ इसे पंजीकृत/अपडेट करें। अपेक्षित फॉर्म कंपनी की वेबसाइट **https://www.dlf.in/investor** और आरटीए की वेबसाइट **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx** पर भी उपलब्ध हैं।
12. एक सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह एजीएम में दोबारा वोट डालने के लिए पात्र नहीं होगा।
13. एजीएम में घोषित होने पर लाभांश का भुगतान **मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 तक या उससे पहले** स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के अधीन किया जाएगा। लाभांश का भुगतान, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है तो कंपनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए **सोमवार, 28 जुलाई 2025** को **'रिकॉर्ड तिथि'** के रूप में निर्धारित किया गया है।
14. शेयरधारक इस सूचना के संचलन की तिथि से एजीएम की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने में सक्षम होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यगण **investor-relations@dlf.in** पर ई–मेल भेज सकते हैं।
15. ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण **www.evoting.nsdl.com** पर डाउनलोड सैक्शन पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या **evoting@nsdl.co.in** पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल के पास अनुरोध भेज सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटान करेंगे। सदस्यगण कंपनी सचिव को कंपनी के ई–मेल **investor-relations@dlf.in** पर भी लिख सकते हैं।

कृते **डीएलएफ लिमिटेड**
हस्ता/–
(आर.पी. पुंजानी)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 13 जुलाई 2025
स्थान: गुरुग्राम